

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 497]

रायपुर, बुधवार, दिनांक 14 अक्टूबर 2020 — आश्विन 22, शक 1942

कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़
शास्त्री चौक, पुराना मंत्रालय परिसर, रायपुर

रायपुर, दिनांक 14 अक्टूबर 2020

आदेश

क्रमांक-08/चार/वि.स.उप निर्वाचन/24-मरवाही/2020/07. — विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र-24-मरवाही (अजजा) के लिये विधानसभा उप निर्वाचन-2020 हेतु वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों के संबंध में भारत निर्वाचन आयोग, नई-दिल्ली द्वारा जारी आदेश संख्या-3/4/आई.डी./2020/एसडीआर/खण्ड-II दिनांक 14 अक्टूबर, 2020 एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित की जाती है।

हस्ता./—

(रीना बाबासाहेब कंगाले)
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी.

भारत निर्वाचन आयोग
निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

नई दिल्ली, दिनांक 14 अक्टूबर 2020

आदेश

सं.3/4/आई.डी./2020/एसडीआर/खण्ड-II.— यतः लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 61 में यह उपबंधित है कि निर्वाचकों के प्रतिरूपण का निवारण करने की दृष्टि से, ताकि उक्त अधिनियम की धारा 62 के अधीन वास्तविक निर्वाचकों का उनके मत देने के अधिकार को और अधिक प्रभावी बनाया जा सके, मतदान के समय निर्वाचकों की पहचान सुनिश्चित करने के साधन के रूप में निर्वाचकों के लिए निर्वाचक फोटो पहचान पत्र के उपयोग हेतु नियमों के द्वारा उपबंध किए जा सकते हैं, तथा

2. यतः निर्वाचकों का रजिस्ट्रिकरण नियम, 1960 का नियम 28 निर्वाचन आयोग को, इस दृष्टि से कि निर्वाचकों के प्रतिरूपण का निवारण हो सके तथा मतदान के समय उनकी पहचान को सरल बनाया जा सके, निर्वाचकों को राज्य की लागत पर फोटोयुक्त निर्वाचक फोटो-पहचान पत्र जारी करने के लिए निदेश देने की शक्ति प्रदान करता है; तथा
3. यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 49 ज(3) और 49 ट(2) (ख) में यह उपबंधित है कि जहाँ किसी निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचकों को निर्वाचक रजिस्ट्रिकरण नियम, 1960, के नियम 28 के उक्त उपबंधों के अधीन निर्वाचक फोटो पहचान-पत्र दिए गए हैं, वहाँ निर्वाचकों को मतदान केन्द्र में अपना निर्वाचक फोटो पहचान-पत्र दिखाना होगा तथा उनकी ओर से उन निर्वाचक फोटो पहचान पत्रों को नहीं दिखाए जाने या दिखाने में असमर्थ होने पर उन्हें मत डालने की अनुमति देने से इन्कार किया जा सकता है; तथा
4. यतः, उक्त अधिनियम, और नियमों के उपर्युक्त उपबंधों को मिलाकर एवं सामंजस्यपूर्ण ढंग से उनके अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि यद्यपि मत देने का अधिकार निर्वाचक नामावली में नाम के होने से ही होता है, यह निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य की लागत पर, मतदान के समय उनकी पहचान सुनिश्चित करने के साधन के रूप में प्रदान करवाए गए निर्वाचक फोटो पहचान पत्र के प्रयोग पर भी निर्भर करता है, तथा दोनों का एक साथ प्रयोग करना होता है; तथा
5. यतः, निर्वाचन आयोग ने एक समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार सभी निर्वाचकों को निर्वाचक फोटो पहचान-पत्र ई0पी0आई0सी0 जारी करने का निदेश देते हुए 28 अगस्त, 1993 को एक आदेश जारी किया है; तथा
6. यतः, बिहार संसदीय निर्वाचन क्षेत्र और बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, झारखण्ड, कर्नाटक, मध्यप्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, उड़ीसा, तेलंगाना, उत्तरप्रदेश विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के उप-चुनाव के लिए निर्वाचकों को 100% निर्वाचक फोटो पहचान पत्र जारी किए जा चुके हैं, तथा
7. अतः, अब, सभी संबद्ध कारकों तथा विधिक एवं तथ्यात्मक स्थितियों को ध्यान में रखते हुए, निर्वाचन आयोग, एतद्वारा, यह निदेश देता है कि दिनांक 09.10.2020 एवं 13.10.2020 के अधिसूचित बिहार संसदीय निर्वाचन क्षेत्र और बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, झारखण्ड,

कर्नाटक, मध्यप्रदेश, मणिपुर नागालैंड, उड़ीसा, तेलंगाना, उत्तरप्रदेश विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के उप-चुनाव के लिए, सभी निर्वाचक जिन्हें निर्वाचक फोटो पहचान पत्र जारी किए गए हैं, मतदान स्थल पर अपना मत डालने से पहले अपनी पहचान सुनिश्चित करने हेतु अपना निर्वाचक फोटो पहचान पत्र दिखाएंगे। ऐसे निर्वाचक जो अपना निर्वाचक फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं, उन्हें अपनी पहचान स्थापित करने के लिए निम्नलिखित वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों में से कोई एक प्रस्तुत करना होगा:-

- (i) आधार कार्ड।
- (ii) मनरेगा जॉब कार्ड,
- (iii) बैंको / डाकघरों द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड,
- (iv) श्रम मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड,
- (v) ड्राइविंग लाइसेन्स ,
- (vi) पैन कार्ड,
- (vii) एनपीआर के अंतर्गत आरजीआई द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड,
- (viii) भारतीय पासपोर्ट;
- (ix) फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज,
- (x) राज्य / केन्द्र सरकार के लोक उपक्रम, पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र-
- (xi) सांसदों, विधायकों / विधान परिषद् सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र

8. एपिक के संबंध में, लेखन अशुद्धि, वर्तनी की अशुद्धि इत्यादि को नजरअंदाज कर देना चाहिए बशर्ते निर्वाचक की पहचान ईपीआईसी से सुनिश्चित की जा सके। यदि कोई निर्वाचक फोटो पहचान पत्र प्रदर्शित करता है, जो कि किसी अन्य सभा निर्वाचन-क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा जारी किया गया है, ऐसे एपिक भी पहचान स्थापित करने हेतु स्वीकृत किए जाएंगे बशर्ते उस निर्वाचक का नाम जहां वह मतदान करने आया है उस मतदान केंद्र से संबंधित निर्वाचक नामावली में उपलब्ध हो। यदि फोटोग्राफ इत्यादि के बेमेल होने के कारण निर्वाचक की पहचान सुनिश्चित करना संभव न हो तब निर्वाचक को उपर्युक्त पैरा 7 में वर्णित किसी एक वैकल्पिक फोटो दस्तावेज को प्रस्तुत करना होगा।

9. उक्त पैरा 7 में किसी बात के होते हुए भी, प्रवासी निर्वाचकों को जो अपने पासपोर्ट में विवरणों के आधार पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20क के अधीन निर्वाचक नामावलियों में पंजीकृत हैं, मतदान केन्द्र में केवल उनके मूल पासपोर्ट (तथा कोई अन्य पहचान दस्तावेज नहीं) के आधार पर ही पहचाना जाएगा।

आदेश से,

हस्ता./—
(एन.टी. भूटिया)
सचिव.

अनुलग्नक-।

क्रम सं०	राज्य का नाम	संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का नाम व संख्या
1.	बिहार	1- बाल्मीकिनगर

क्रम सं०	राज्य का नाम	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम व संख्या
1.	छत्तीसगढ़	24- मरवाही (अ. ज. जा.)
2.	गुजरात	01-अवडासा
3.	गुजरात	61- सीवडी
4.	गुजरात	65- मोरवी
5.	गुजरात	94-धारी
6.	गुजरात	106- मढडा (अ. जा.)
7.	गुजरात	147- करजण
8.	गुजरात	173- डांग (अ.ज.जा.)
9.	गुजरात	181- कपराडा (अ.ज.जा.)
10.	हरियाणा	33- बरोदा
11.	झारखण्ड	10- दुमका (अ.ज.जा.)
12.	झारखण्ड	35- बेरमो
13.	कर्नाटक	136- सिरा
14.	कर्नाटक	154- राजाराजेश्वरीनगर
15.	मध्य प्रदेश	04- जौरा
16.	मध्य प्रदेश	05- सुमावसी
17.	मध्य प्रदेश	6- मुरैना
18.	मध्य प्रदेश	7- दिमनी
19.	मध्य प्रदेश	8- अम्बाह (अ.जा.)

20.	मध्य प्रदेश	12-मेहगांव
21.	मध्य प्रदेश	13- गोहद (अ.जा.)
22.	मध्य प्रदेश	15-ग्वासिबर
23.	मध्य प्रदेश	16- ग्वासिबर पूर्व
24.	मध्य प्रदेश	19- डबरा (अ.जा.)
25.	मध्य प्रदेश	21- भाण्डेर (अ.जा.)
26.	मध्य प्रदेश	23- करेरा (अ.जा.)
27.	मध्य प्रदेश	24- पोहरी
28.	मध्य प्रदेश	28- बाजोरी
29.	मध्य प्रदेश	32- अशोकनगर (अ.जा.)
30.	मध्य प्रदेश	34- मुंनावली
31.	मध्य प्रदेश	37- सुरखी
32.	मध्य प्रदेश	53- मसहरा
33.	मध्य प्रदेश	87- अनूपपुर (अ.ज.जा.)
34.	मध्य प्रदेश	142- सांची (अ.जा.)
35.	मध्य प्रदेश	161- ब्यावरा
36.	मध्य प्रदेश	166- आगर (अ.जा.)
37.	मध्य प्रदेश	172- हाटपिपल्या
38.	मध्य प्रदेश	175- मांघाता
39.	मध्य प्रदेश	179- नेपानगर (अ.ज.जा.)
40.	मध्य प्रदेश	202- बदनावर

41.	मध्य प्रदेश	211- सांवेर (अ.ज्वा.)
42.	मध्य प्रदेश	226- सुवासरा
43.	मणिपुर	30- सिर्मांग
44.	मणिपुर	34- वॉर्जिंग टेन्हा
45.	मणिपुर	22-बॉगोइ
46.	मणिपुर	51-सैतु(अ.ज्वा.)
47.	मणिपुर	60-सिंघाट(अ.ज्वा.)
48.	नागालैण्ड	14- दक्षिणी अंगामी-। (अ.ज्वा.)
49.	नागालैण्ड	60- पुंगरो-किफिरे (अ.ज्वा.)
50.	उड़ीसा	38- बासासीर
51.	उड़ीसा	102- तिरतोम (अ.ज्वा.)
52.	तेलंगाना	41- हुम्बक
53.	उत्तर प्रदेश	40- नीगावां साव्यत
54.	उत्तर प्रदेश	65- बुसंदसहर
55.	उत्तर प्रदेश	95- टूंडसा(अ.ज्वा.)
56.	उत्तर प्रदेश	162- बांनरमऊ
57.	उत्तर प्रदेश	218- घाटमपुर (अ.ज्वा.)
58.	उत्तर प्रदेश	337- देवरिया
59.	उत्तर प्रदेश	367-मल्हनी

ELECTION COMMISSION OF INDIA
Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001

New Delhi, dated 14th October 2020

ORDER

No.3/4/ID/2020/SDR/VOLII . — Whereas, Section 61 of the Representation of the People Act, 1951 Provides that with a view to preventing impersonation of electors, so as to make the right of genuine electors to vote under section 62 of that Act more effective, provisions may be made by rules under that Act for use of Electors Photo Identity Card for electors as the means of establishing their identity at the time of polling; and

2. Whereas, Rule 28 of the Registration of Electors Rules, 1960, empowers the Election Commission to direct, with a view to preventing impersonation of electors and facilitating their identification at the time of poll, the issue of Electors Photo Identity Card to electors bearing their photographs at State cost; and

3. Whereas, Rules 49H (3) and 49K (2) (b) of the Conduct of Elections Rules, 1961, stipulate that where the electors of a constituency have been supplied with Electors Photo Identity Card under the said provisions of Rule 28 of the Registration of Electors Rules, 1960, the electors shall produce their Electors Photo Identity Card at the polling station and failure or refusal on their part to produce those Electors Photo Identity Card may result in the denial of permission to vote; and

4. Whereas, a combined and harmonious reading of the aforesaid provisions of the said Act and the Rules, makes it clear that although the right to vote arises by the existence of the name in the electoral roll, it is also dependent upon the use of the Electors Photo Identity Card, where provided by the Election Commission at State cost, as the means of establishing their identity at the time of polling and that both are to be used together; and

5. Whereas, the Election Commission made an Order on the 28th August, 1993. directing the issue of Electors Photo Identity Card (EPIC) to all electors, according to a time bound programme; and

6. Whereas, Electors Photo Identity Card have been issued to 100% electors in the House of the People of Bihar and Assembly Constituencies of Chhattisgarh, Gujarat, Haryana, Jharkhand, Karnataka, Madhya Pradesh, Manipur, Nagaland, Odisha, Telangana and Uttar Pradesh, ; and

7. Now, therefore, after taking into account all relevant factors and the legal and factual position, the Election Commission hereby directs that for the bye elections to the House of the People of Bihar and State Legislative Assemblies of Chhattisgarh, Gujarat, Haryana, Jharkhand, Karnataka, Madhya Pradesh, Manipur, Nagaland, Odisha, Telangana and Uttar Pradesh (As per Annexure-I) notified on 09-10-2020 and 13-10-2020, all electors who have been issued EPIC shall produce the EPIC for their identification at the polling station before casting their votes. Those electors who are not able to produce the EPIC shall produce one of the following alternative photo identity documents for establishing their identity: -

- (i) Aadhaar Card,
- (ii) MNREGA Job Card,
- (iii) Passbooks with photograph issued by Bank/Post Office.
- (iv) Health Insurance Smart Card issued under the scheme of Ministry of Labour,
- (v) Driving License,
- (vi) Pan Card,
- (vii) Smart Card issued by RGI under NPR,
- (viii) Indian Passport,
- (ix) Pension document with photograph,
- (x) Service Identity Cards with photograph issued to employees by Central/State Govt./PSUs/Public Limited Companies, and
- (xi) Official identity cards issued to MPs/MLAs/MLCs.

8. In the case of EPIC, clerical errors, spelling mistakes, etc. should be ignored provided the identity of the elector can be established by the EPIC. If an elector produces an EPIC which has been issued by the Electoral Registration Officer of another Assembly Constituency, such EPIC shall also be accepted for identification provided the name of that elector finds place in the electoral roll pertaining to the polling station where the elector has turned up for voting. If it is not possible to establish the identity of the elector on account of mismatch of photograph, etc. the elector shall have to produce one of the alternative photo documents mentioned in Para 7 above.

9. Notwithstanding anything in Para 7 above, overseas electors who are registered in the electoral roll under Section 20A of the Representation of the People Act, 1950, based on the particulars in their Indian Passport, shall be identified on the basis of their original passport only (and no other identity document) in the polling station.

By Order,

Sd./-
(N.T. Bhutia)
Secretary.

Annexure-I

Sl. No.	Name of State	Number & Name of Parliamentary Constituency
1.	Bihar	1- Valmiki Nagar

Sl. No.	Name of State	Number & Name of Assembly Constituency
1	Chhattisgarh	24- Marwahi(ST)
2.	Gujarat	01- Abdasa
3.	Gujarat	61- Limbdi
4.	Gujarat	65- Morbi
5.	Gujarat	94- Dhari
6.	Gujarat	106- Gadhada (SC)
7.	Gujarat	147- Karjan
8.	Gujarat	173- Dangs (ST)
9.	Gujarat	181- Kaprada (ST)
10.	Haryana	33- Baroda
11.	Jharkhand	10- Dumka (ST)
12.	Jharkhand	35- Bermo
13.	Karnataka	136- Sira
14.	Karnataka	154- Rajarajeshwarinagar
15.	Madhya Pradesh	04- Jaura
16.	Madhya Pradesh	5- Sumawali
17.	Madhya Pradesh	6- Morena
18.	Madhya Pradesh	7- Dimani
19.	Madhya Pradesh	8- Ambah (SC)
20.	Madhya Pradesh	12-Mehgaon
21.	Madhya Pradesh	13- Gohad (SC)
22.	Madhya Pradesh	15- Gwalior
23.	Madhya Pradesh	16- Gwarlior East
24.	Madhya Pradesh	19- Dabra(SC)
25.	Madhya Pradesh	21- Bhandar (SC)
26.	Madhya Pradesh	23- Karera (SC)
27.	Madhya Pradesh	24- Pohari

28.	Madhya Pradesh	28- Bamori
29.	Madhya Pradesh	32- Ashok Nagar (SC)
30.	Madhya Pradesh	34- Mungaoli
31.	Madhya Pradesh	37- Surkhi
32.	Madhya Pradesh	53- Malhara
33.	Madhya Pradesh	87- Anuppur (ST)
34.	Madhya Pradesh	142- Sanchi (SC)
35.	Madhya Pradesh	161- Biaora
36.	Madhya Pradesh	166- Agar (SC)
37.	Madhya Pradesh	172- Hatpipliya
38.	Madhya Pradesh	175- Mandhata
39.	Madhya Pradesh	179-Nepanagar (ST)
40.	Madhya Pradesh	202- Badnawar
41.	Madhya Pradesh	211- Sanwer (SC)
42.	Madhya Pradesh	226- Surwasra
43.	Manipur	30- Lilong
44.	Manipur	34-Wangjing Tentha
45.	Manipur	22-Wangoi
46.	Manipur	51-Saitu(ST)
47.	Manipur	60-Singhat(ST)
48.	Nagaland	14-Southern Angami-I (ST)
49.	Nagaland	60-Pungro-Kiphire (ST)
50.	Odisha	38-Balasore
51.	Odisha	102-Tirtol (SC)
52.	Telangana	41-Dubbak
53.	Uttar Pradesh	40-Naugawan Sadat
54.	Uttar Pradesh	65-Bulandshahr
55.	Uttar Pradesh	95-Tundla (SC)
56.	Uttar Pradesh	162-Bangermaw
57.	Uttar Pradesh	218-Ghatampur (SC)
58.	Uttar Pradesh	337-Deoria
59.	Uttar Pradesh	367-Malhani